close down any post office opened in general interest during the 25th year of our Independence.

Telegraph Facilities: The policy for opening telegraph offices in backward areas on loss basis has recently been liberalised.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Complaint by daily "Gomantak" against administration of Goa

600. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Press Council of India has received any complaint from a daily "Gomantak" of Goa, under the Press Council Act, 1965 against the Administration of Goa State; and

(b) if so the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) Yes, Sir. A complaint was received by the Press Council of India on January 28, 1971 from the editor of the 'Gomantak' complaining against the discontinuance of advertisements by the Government of Goa, Dama and Diu.

(b) The Council adjudicated the complaint on April 15 and 16, 1972, and, after considering the comments of the Government of Goa, Daman and Diu on the complaint, expressed the opinion that the action of the Administration in withdrawing advertisements from the 'Gomantak' was unjustified and constituted a threat to the freedom of the Press. The Administration have since resumed the use of the daily for their advertisements.

12.2 hrs.

RE: ALLEGED POLICE EXCESSES IN KINGSWAY CAMP. DELHI

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): अध्यक्ष जी कल रात किंग्जवे कैम्प पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है, लोगों को घरों में घुस कर पीटा है। 45 लोग घायल हो गए हैं, कुछ की हालत गम्भीर है और ऐसा लगता है कि किंग्जवे कैम्प में शाहदरा काण्ड की पुनरावृत्ति हुई है। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है या लोगों को पीटना है? पुलिस का काम कानून को हाथ में लेना है या कानून की व्यवस्था बनाये रखना है? मेरा निवेदन है कि आप इस सवाल पर बहस करने का मौका दें। पुलिस ने इतनी ज्यादा ज्यादती की है कि युवकों के इंटरनेशनल हाउस में भी घुस गये।

MR. SPEAKER: Will you be making a statement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): I will make.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: पंतजी ने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया।

MR. SPEAKER: I have asked him to make a statement on it to-day at 5.30 p.m.

12.03 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

RECOVERY OF LETTER-BOMBS IN VARIOUS POST OFFICES IN THE COUNTRY

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं तथा उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस के बारे में अपना वक्तव्य दें और हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करें —

"देश के विभिन्न डाक-घरों में पत्र-बम बरामद किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में उठाए गए पग।"

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): 6-11-72 को कोलाबा डाकघर (बम्बई में पत्रों की छटाई करते हुए एक

[श्री शशि भूषण]

डाक कर्मचारी के हाथ में उनमें से इस तरह के एक पत्र के फटने पर वह कर्मचारी घायल हो गया। इस घटना की तुरंत बम्बई पुलिस को रिपोर्ट की गई। पुलिस इसकी तफतीश कर रही है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है।

देश के सभी डाकघरों को ऐसी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि जिन डाक-वस्तुओं पर पत्र-बम्ब होने का संदेह हो उन्हें छांट कर अलग कर लिया जाये। डाक कर्मचारियों को यह भी कहा गया है कि जिन वस्तुओं पर संदेह हो वे उन पर बड़ी सावधानी से कारवाई करें और जब कभी इस प्रकार की वस्तुयें जानकारी में आयें, वे राज्य के सी० आई० डी० विभाग और संबंधित जोन के मुख्य निरीक्षक (विस्फोटक) के कार्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें।

हमारे कर्मचारियों द्वारा सतर्कता बरतने पर इस तरह की बम्बई में 42 और दिल्ली में 8 वस्तुयें पकड़ में आई। इन सभी मामलों में पुलिस तफतीश कर रही है।

श्रीमन् इस स्टेटमेन्ट के भेजने के बाद जो सूचना आई है, मुझे उस को भी यहां पर जोड़ने की इजाजत दें। कल दो और पत्र बम्बई में और 5 दिल्ली में इस तरह के मिले हैं। यह सूचना चूंकि बाद में आई है, इस लिये इस को यहां जोड़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यहां सब को दिखा दें कि कैसे होते हैं या यहां हाउस में मत दिखाइये, कहीं बाहर दिखा दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा : अध्यक्ष महोदय, एक्सपर्टस यह कह रहे हैं कि वे खत हैण्डिल करने की चीज नहीं हैं, उन में रिस्क बहुत ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो नहीं दिखाना चाहिये।

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, जब से ये बम-पत्र भेजे जाने शुरू हुए हैं, तब से एक गम्भीर समस्या खड़ी हो गई है। ये पत्र जिस को भेजे जाते हैं उसके लिए तो खतरा है ही, लेकिन रास्ते में या हवाई जहाज में बम चल जाय तो हाइजैकिंग से भी ज्यादा खतरनाक चीज हैं। आज सारे विश्व में इस ढंग के पत्र भेजे जा रहे हैं, हमारे देश से ही नहीं सारे देशों से ये पत्र आज अशान्ति का कारण बने हुए हैं—इन के पीछे कौन सा अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है, इसके पीछे कौन सी भावना है? कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर फिलस्तीन के लोग आए हुए हैं, वे इस काम को करते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। बेचारे शरणार्थी तो यहां विद्या अध्ययन करने आए हैं और हमारे देश की नीतियों को उन्होंने हमेशा समर्थन दिया है। फिलस्तीन के विद्यार्थियों ने बंगला देश की मान्यता के लिए यहां सब से पहले प्रदर्शन किया। वे बहुत सताये हुए और दुखी लोग हैं जिन को घर से बेघर कर दिया गया है। साम्प्रदायवादी शक्तियों के द्वारा उन लोगों पर इस तरह का आक्षेप लगाना बहुत गलत काम है और मुनासिब भी नहीं है। लेकिन यहां के अखबारों में अभी एक चर्चा शुरू हुई है कि इस में उन लोगों का हाथ है। मैं यह समझता हूं कि चूंकि हम फिलस्तीन के शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, इस लिए उन को बदनाम करने के लिए यह साजिश की गई है और यह एक मिलीजुली साजिश है जिस का हमारे लोगों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग भारत को एक शान्तिप्रिय देश मान कर एसे कामों के लिए चुनते हैं, मैं उन से भी अपील करूंगा कि इस ढंग की कार्यवाहियां वे अपने देश तक ही सीमित रखें। हम तो शान्ति का सन्देश देते हैं, शान्ति का प्रेम-पत्र भेजते हैं, हम इस प्रकार के बम भेजने की कोई जिज्ञासा नहीं रखते।

जहां तक विदेशी एजेंसियों का सम्बन्ध है, अभी हमारे एक मित्र ने यहां जिक्र किया—मैं

उस का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, चाइना का सोशल अफेयर्स डिपार्टमैंट अपनी इंटेलिजेंस की हरकतों के लिए आज सारे विश्व में मशहूर है। उन को पता है कि लिन-पियाम्रो संसार में कहां चला गया, इस प्रकार की एजेन्सियां या दूसरी एजेंसियां मिल कर इस बात की कोशिश करती हैं कि किसी तरह से हिन्दुस्तान के अन्य देश के साथ सम्बन्ध खराब हों, जिनके साथ हमारे अच्छे मैत्रि-सम्बन्ध हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि हम इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्रों के प्रति काफी सतर्क रहे और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इन के पीछे किस का हाथ है।

पिछले दिनों लन्दन में हमारी तकरीबन प्रतिदिन 30 हजार चिट्ठियां और पारसल जाते रहे हैं। उन्होंने हमारी डाक वितरण करना बन्द कर दिया। वहां पर सारी दुनिया से चिट्ठियां जाती हैं लेकिन उन्होंने किसी और देश की डाक को बन्द नहीं किया (व्यवधान) .... मैं ब्रिटेन के खिलाफ बोल रहा हूं तो इनको क्यों दुख हो रहा है? मैं जब भी किसी साम्राज्यवादी देश के खिलाफ बोलता हूं तो इनको बुरा लगता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में जो हमारी इंडियन बैंक्स हैं उनको भी उससे नुकसान हो रहा है। दूसरे देशों से ब्रिटेन में जो "पत्रबम्ब" चिट्ठियां आती हैं जैसे नीदरलैंड से, उनकी डाक को बन्द नहीं किया फिर भारत की डाक को क्यों बन्द कर दिया। मैं समझता हूं कि दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं उन्हें इस समस्या को हल करने के लिए आपस में बातचीत करनी होगी और यूनाइटेड नेशन्स में इस प्रश्न को ले जाना होगा। अगर इस तरह से सारी दुनिया में डाक बन्द करनी है तो फिर हम बहुत पीछे चले जायेंगे और तब जंगली युग भी नहीं रहेगा। आज के युग में जो देश शांति-चाहते हैं उनको मिलकर इसका फैसला करना चाहिए।

मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं। मैं चाहूंगा कि यह चीज आगे न बढ़े अन्यथा आम जनता को भी यह बताना होगा कि पत्र कैसे खोलने चाहिए। वी आई पीज तो डाक नहीं खोलते लेकिन कई बार प्रेयसी के नाम से और कई मित्रों के नाम से पत्र आते हैं धोखे में लोग जल्दी में खोल लेते हैं। आम तौर पर वी० आई० पीज० भी ऐसे पत्र खुद खोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वी० आई० पीज को ऐसे लेटर्स जाते हैं प्रेयसी से।

श्री शशि भूषण : वी० आई० पीज० जो है उनको होशियार रहना चाहिए और आम लोगों को भी पता करना चाहिए कि कैसे इससे बचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आम लोगों को वालन्टरी बेसिस पर इसकी शिक्षा दी जाये ताकि इस ढंग के पत्र भेजने वालों को पकड़ सकें। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है वह मैं जानना चाहता हूं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमन्, शशि भूषण जी जो खत खुद खोलते हैं वह खोलते रहें उसमें कोई खतरा नहीं है। उन्होंने जो सवाल उठाया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसे सम्बन्ध में जितनी उपलब्ध जानकारी अपने देश में है उसको एकत्रित किया है और उसके आधार पर जांच का काम शुरू किया है ताकि इसके जो दुष्परिणाम हैं वह आगे न आने पावें, वह छंट जायें। हवाई जहाज वाली बात जो उन्होंने कही, सौभाग्य से अभी तक इस तरह की कोई

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

बात नहीं हुई है हमारे यहां कि इस प्रकार को कोई घटना हुई हो, हमारी हवाई डाक में कोई गड़बड़ चीज गई हो। फरवरी, 1971 को डायरेक्टर जनरल, सिविल एविएशन ने, कोई एक विदेशी जहाज किसी का दुनिया में कहीं गिरा, मैं उस जगह का नाम नहीं जानता, उसमें टाइम बम था तो हमारे डी० जी० सिविल एविएशन ने पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारीयों को बुलाया और सलाह दी और तब से जितने इंस्ट्रक्शन्स थे पोस्टल पार्सल और लेटर्स के सिलसिले में वह हम फालो कर रहे है। उन्होंने सलाह दी थी कि जो फारेन पार्सल होते हैं उनको 24 घंटे के लिए क्वैरेन्टाइन कर लिया जाये, भेजा मत जाये और वह हम कर रहे हैं। बाकी जो पहचान करने की सिलसिलेवार बातें बताई गई थीं उन पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए कोई खतरा नहीं है। यह बात सच है कि हमारे पास कोई मेटल डिटेक्टिंग नहीं है जिससे पता लगाया जा सके। दूसरे हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि पत्र के साथ आलपीन लगा देते हैं, अब अगर मेटल डिटक्टर हो तो वह शोर करने लगेगा। मशीन के लिए आलपीन और बम में कोई फर्क नहीं होता है। एसी हालत में सभी पत्र खोलने पड़ेंगे और ये बड़ी तादाद में पत्र रूक जायेंगे। आज नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में कुछ एक्सपेरीमेन्ट कर रहे हैं। हमारे अधिकारी आज बैठ करके, एक इक्सपेरीमेन्ट उनके पास हैं, उसको देख रहे हैं। यदि यह एक्सपेरिमेन्ट सक्सेसफुल निकला तो उसको लेकर के हम फोरन मेल के जो सेन्टर्स हैं जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, वहां पर उसको लगा देंगे।

जहां तक इन्टर्नल बात है, सौभाग्य से भारत में इस तरह की बीमारी पैदा नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस तरह का स्केयर्स पैदा न किया जाये जिससे लोगों में भय पैदा हो जाये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इंग्लैंड ने हमारे खत रोक दिये हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि हर देश सिक्योरिटि की बातें करता है, वह करे। यह बात जरूर है कि हमारे देश से जो पत्र गए हैं, हमने जिस मात्रा में उनको पकड़ा है उसके सम्बन्ध में अपने विदेश मंत्रालय को सूचना दे दी है कि वे कृपा करके जिन देशों के नाम पत्र गए हैं उनके राजदूतों को, अगर वाजिब समझें तो सूचित कर दें। जहां तक लंदन में हमारे पत्र रुकने का सम्बन्ध है, हमने विदेश मंत्रालय से यह भी चाहा है कि वे पता करें इम्बेसी के जरिये कि स्थिति क्या है, क्या नहीं है। अभी हमारे पास पूरी सूचना नहीं है इसलिए अखबारों की रिपोर्टस पर रिएक्ट करना मुनासिब नहीं होगा। वहां से सूचना पाने के उपरान्त ही हम कह सकते हैं कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमारे शशि भूषण जी ऐसी बड़ी जगह यू एन ओ में इसको ले जाना नहीं चाहेंगे, यह मामला ऐसे ही तय हो जायेगा।

जहां तक उन्होंने पूछा कि हमारे यहां कौन लोग इसको कर रहे है, सरकार के ऊपर कौन क्या कह रहा है, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक कि जांच हो रही है सरकार की तरफ से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। मैंने राज्य सभा में इस बात को स्पष्ट रुप में कहा था कि हम किसी को तबतक दोषी नहीं बता सकते जबतक कि अन्तिम रुप से जांच का परिणाम न आ जाये। सरकार ने किसी पर भी कोई दोषारोपण नहीं किया है।

जहां तक कर्मचारियों को कम्पेन्सेशन का सम्बन्ध है, हमारे यहां वर्कमेंन कम्पेनसेशन एक्ट बना हुआ है। जब इस प्रकार की दुर्घटना हुई तो अभी 6 तारीख को मैं श्री सावन्त को देखने बम्बई गया हुआ था। उनकी पूरी देखरेख और इलाज हो रहा है। ईश्वर ने उनको अभी नौकरी में रहने लायक छोड़ा

है केवल कुछ उंगलियों को नुकसान पहुंचा है। यदि इस प्रकार से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके डिपेन्डन्ट को नौकरी, उसके मरने के बाद उसके परिवार का नाबालिग बच्चों को प्रापर कम्पेनसेशन आदि हम जरूर देंगे। मुझे खुशी है कि इस हाउस की राय श्री शशि भूषण जी के जरिये मालूम हुई और उससे हमें बहुत मदद मिलेगी।

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (Berhampore): I do not have many questions to ask. This has occurred not only in our post offices and our mail but in several other countries. As far as I remember, it occurred first in the US, then in the Netherlands and also in Great Britain. Have our Government, particularly the P & T Department and the Ministry of Communications, put themselves in touch with the postal authorities of other countries, and are they in a position to come to some common finding with regard to its technical handling and also the political and other implications?

SHRI H. N. BAHUGUNA: This question about letter bombs is currently being discussed by the Universal Postal Union meeting in Berne.

Our representatives are already in Berne Switzerland, and they have the brief to deal with this question with their counterparts from the rest of the world to get first-hand information from these people. Simultaneously, we have requested the External Affairs Ministry to kindly instruct our ambassadors to get into touch with various countries as to the precautionary measures they are taking in relation to this situation. On hearing from them, it will be possible for us to do something positive.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर): अध्यक्ष महोदय, अभी तक पत्रों द्वारा हत्या की धमकी दी जाती थी, लेकिन अब स्वयम् पत्र ही मृत्यु का कारण बन जाते है यह बड़े आश्चर्य का विषय है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। मैं इस के इतिहास को दोहराना नहीं चाहता कि पत्र बम कैसे और कब से बनने प्रारम्भ हुए, लेकिन यह कोई नये किस्म का प्रयोग नहीं हुआ है। विदेशों में इस प्रकार की घटनाएं 1947 से पूर्व और 1968–69 में पर्याप्त संख्या में हुई है। इस का मुख्य कारण फिलिस्तीनियों और यहूदियों का संघर्ष रहा है। इस सारी बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि हमारे यहां जब सर्व-प्रथम यह घटना घटी तो मेरा ध्यान उस घटना की ओर गया जो सितम्बर में लन्दन स्थिति इजरायली दूतावास में इजरायली कृषि सलाहकार के साथ घटी और वह उस में मारे गये।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में केवल बम्बई और दिल्ली के बारे में बतलाया है लेकिन मेरे पास जो सूचना है उस के अनुसार अहमदाबाद भी जुड़ गया और इलाहाबाद भी जुड़ गया है। "नवभारत टाइम्स" में आज जो सूचना है उस में यह लिखा हुआ है:

> "मालूम हुआ है कि अमरेली जिले के श्री भाई लाल भाई मकान को विस्फोटक पदार्थ से भरा बनी पत्र प्राप्त हुआ। पत्र पुलिस को सौंप दिया गया है। पता किसी अखबार की कतरन से काट कर चिपकाया गया था।
>
> बम्बई से प्रैस ट्रस्ट के समाचार में बतलाया गया कि है बम्बई में कल और आज दो और पत्र-बम बरामद हुए हैं। आज तक कुल 44 पत्र-बम पकड़े जा चुके हैं।"

यह घटना केवल बम्बई और दिल्ली की नहीं है। यह घटनायें और भी स्थानों में घट चुकी हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, इलाहाबाद में

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

इस प्रकार की कोई घटना घटी है और आप के डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी जांच के लिए इलाहाबाद गया हुआ है । इस सम्बन्ध में जो सूचनायें अखबारों के जरिये मिली हैं उन में कहा गया है कि जो सारा मैटीरियल खतों में प्राप्त हुआ है और जो इस प्रकार से भेजा जा रहा है वह किसी वैस्टर्न कंट्री से प्राप्त हो रहा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर उसके पास इस के बारे में क्या सूचना है । वैस्टर्न कंट्री से इस तरह का माल ला कर और हमारे देश में रह कर जो इस प्रकार की कार्यवाई की गई है उस के बारे में आप ने कौन से कदम उठाये हैं ताकि यहां रहने वाले कोई शरारती तत्व हमारे देश को बदनाम करने की दृष्टि से कोई इस प्रकार की कार्यवाई न कर सकें ?

जहां तक मेरी जानकारी है मंत्री महोदय के विभाग ने केवल एक एक्सप्लोसिव्ज एक्सपर्ट की सहायता की है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कितने और एक्सप्लोसिव्ज एक्स्पर्ट नियुक्त करने वाले हैं ताकि विभिन्न शहरों में जो इस प्रकार की घटनायें घट रही हैं, और देश के दूसरे भागों में भी घट सकती हैं, उन्हें समय पर रोका जा सके ? इस सन्दर्भ में आप ने कितने संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है ? यह घटनायें केवल कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं है । अभी तो भाई लाल भाई धकान को ही पत्र बम मिला है, और लोगों को भी मिल सकता है । देश के किसी भी राजनीतिक नेता को मिल सकता है और उस की जान खतरे में पड़ सकती है । क्या इस के बारे में आप कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं ? क्या आप ने इस सम्बन्ध में विशेष परिज्ञान पाने के लिए अपने कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों को विदेशों में भी भेजा है या भेजने की योजना रखते हैं । क्या आप ने सुरक्षा की दृष्टि से कोई प्रभावी कदम उठाये हैं ताकि जब आप के कर्मचारी इस प्रकार के पत्रों को लें या मोहर लगायें तो वह किसी इस प्रकार की दुर्घटना से प्रभावित न हों ?

जैसा अभी कहा गया है यू के में हमारी सारी की सारी डाक रोक ली गई है और वहां पर लम्बी चौडी डाक इकट्ठी हो गई है । आज अखबारों के जरिये यह सूचना मिली है । मैं नहीं जानता कि वह कितने अंश तक सही है और कितने अंश तक गलत है, लेकिन अखबारों में स्पष्ट रुप से कहा गया है । जैसा कि 14 नवम्बर के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में लिखा हुआ है कि

"Though British official sources are silent on the traffic in bombs, there is strong suspicion that the plastic explosive used in them is made in an Arab country, which might be Libya, and transported to various countries through Arab diplomatic bags. A move is under consideration to raise the issue in the United Nations."

यह चीज यू एन ओ में उठने वाली है और कल के अखबार में कहा गया है कि इस बारे में साफ साफ आरोप हैं ।

जैसा मैं ने प्रारम्भ में कहा, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से, और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा की द्रष्टि से मंत्री महोदय ने कौन से प्रभावी कदम उठायें हैं ? इस प्रकार के कोई यन्त्र आदि भी आप के पास नहीं है । शायद एक आध मशीन कोई आप ने मंगाई है, उस के जरिये कुछ आप देख लेते हैं । लेकिन कोई एक्स्पर्ट वगैरह आप के पास नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने एक्स्पर्ट नियुक्त करने वाले हैं और इस के बारे में यदि आवश्यक हो तो कितनी प्रयोगशालायें स्थापित करने का विचार रखते हैं । हिन्दुस्तान के नेताओं और दूसरे लोगों की सुरक्षा की द्रष्टि से आप ने क्या किया और कौन कौन से ऐसे समुचित कदम उठाये है या प्रभावी व्यवस्था की है जिन से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके ? संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आप ने या आप से सम्बद्ध दूसरे मंत्रालयों ने क्या कार्यवाई की है ताकि

हमारे देश की बदनामी न हो और देश में रह कर लोग यहां से बम दूसरी जगहों को न भेज सकें और लोगों की जानों को खतरा न पैदा कर सकें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्यक्ष, महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के आखिरी भाग से शुरू करता हूं। मैं उन्हें और इस सदन को आपके द्वारा यह आश्वासन देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि हमारी भारतीय जमीन का इस्तेमाल कोई भी आदमी चाहे वह कैसा भी हो, इस तरह के कुकृत्यों के लिए नहीं कर सकेगा। होम मिनिस्ट्री पूरी तरह से चेष्टावान है कि संदिग्ध लोगों को अथवा संदिग्ध जमातोंको, जो भी हों, उन्हें पकड़े। वह लोग कौन हैं इस को भी जानने की वह चेष्टा कर रही है। मैं आशा करता हूं कि इस का पता भी चल जायेगा।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जिसमें उन्होंने किसी विदेशी फैसले का हवाला दिया कि बम कहां का बना हुआ है, हम किसी दूसरे की राय से प्रभावित नहीं होंगें। उन रायों में राजनीति को ला कर आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। भारत तो अपने ही निष्कर्षों पर कुछ राय बना सकता है।

एक माननीय सदस्य : उन पर मेड इन तो लिखा होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ऐसी चीजों में मेड इन नहीं लिखा होता है। हमारे एक्सप्लासिव्ज विभाग के— मैं इतना कह दूं कि पोस्ट ऐंड टैलिग्राफ विभाग में कोई एक्स्प्लोसिव्ज विभाग नहीं है— केन्द्रीय सरकार का जो एक्स्प्लोसिव्ज का महकमा है उस में चीफ इनस्पेक्टर एक्स्प्लोसिव्ज होता है उन के मातहत सारे देश को 16 सर्किलों में बाटां गया है। अगर अलग अलग विभाग अपने एक्स्प्लोसिव्ज विभाग खोलने लगें और उन में इन्स्पेक्टर्स रखने लगें तो मुझे को पूरी केन्द्रीय सरकार अपने मातहत लेनी पड़गी और इसी तरह से सब मंत्रालयों को करना होगा। यह तो सम्भव नहीं है, लेकिन जो एक्स्प्लोसिव्ज विभाग है जिसे में एक्स्प्लोसिव्ज एक्सपर्ट रहते हैं, उन के इन्स्पेक्टर्स की मदद हम लेते हैं। एक्स्प्लोसिव्ज डिपार्टमेंट के जो चीफ इन्स्पेक्टर आफ एक्स्प्लोसिव्ज हैं उन्होने एक बात यह कही है कि यह बम हिन्दुस्तान में नहीं बन सकता है, दूसरी बात यह कही है कि वह वह किसी छोटे कारखाने में नहीं बन सकता है, यह बड़े ही हाईली सोफिस्टिकेटेड तरीके से ही बन सकता है। उस को किस देश ने बनाया है अभी इस की कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। इस लिये किसी पर लांछन लगाना वाजिव नहीं होगा.। न केवल यह वाजिव नहीं होगा, यह अनुचित होगा।

श्री शशि भूषण : इस को बनाने के लिये कोई बड़ा कारखाना चाहिये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस के लिये बड़े कारखाने का सवाल नहीं है। इसके लिये हाईली सोफिस्टिकेटड मशीन की आवश्यकता होगी जो कि इस को बना सके।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा कि हम ने इसे सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं कि इन बमों से किसी को नुकसान न पहुंच सके, मैं इस सम्बन्ध में बतला सकता हूं कि हम ने इसके लिये कदम उठाये हैं। इस प्रकार के बम किस तरह बनाये जाते हैं इसके बारे में हमारे एक्स्प्लोसिव्ज एक्सपर्ट ने बतलाया है कि अगर किसी खत में बम जाना है तो उस की मोटाई कम से कम 3 मिलीमीटर होनी चाहिये और दूसरे उस का वजन 50 से 70 ग्राम के बीच होनी चाहिये। होम मिनिस्ट्री वाले कह रहे हैं कि इस से आगे

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मत बतलाओं, लेकिन मैं इस लिये बतला रहा हूं कि इस से एक स्केअर फैलने का डर है। इतना मोटा खत होना चाहिये, इस से कम में बम में जना सम्भव नहीं है। इस तरह से खत की मोटाई और उस के वजन में हम जान लेते हैं कि उस में बम हो सकता है या नहीं और उस में कोई खतरा है या नहीं।

बम दो किस्म के होते हैं। एक वे जिन में मेंटल डेटोनेट करता है और एक वे जो बिना मेटल के भी होते हैं और प्लास्टिक डैटोनेट करते हैं। पर मोटाई में दोनों को ही रहना पड़ता है, जो अरेंजमेंट उसके अन्दर रखने का है। इसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन उस अरेंजमेंट में मोटाई वह पाई जाती है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमने क्या स्टेप लिए हैं। अपने कर्मचारियों को चीफ इंस्पेक्टर आफ एक्सप्लोसेज के यहां ट्रेनिग के लिए हमने भेजा है है। चौदह आदमियों की ट्रेनिंग अभी तक कराई है। उन्होने बताया है कि जब कभी इस तरह का शक हो जाए तो क्या करना चाहिये। ये लोग बम्बई और दिल्ली इन दो जगहों में फारेन जो डाक है उसकी जांच करने के लिए रख दिये गए हैं। ये थोड़ा ऊपर के लेबल के लोग हैं, सार्टर के ऊपर हैं। इंस्पेक्टर भी अब उसको देखेंगे ताकि हैंडल करने के लिए ज्यादा जिम्मेवार आदमी भी उस में इनवाल्व हो जाएं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बड़े बड़े नेताओं के पास बहुत चिट्ठियां आती हैं, उनका क्या होगा? मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नेता को या किसी भी भारतीय राजनितिज्ञ को या किसी भी भारतीय सिटिजन को, हमारा पूरा प्रयास है कि कोई खतरे वाली चीज न जाएं। मैंने राज्य सभा में कहा था और यहां मैं उसको दोहरा देता हूं कि 1 करोड़ 80 लाख डाक रोज हम हैंडल करते हैं और इस 1 करोड़ 80 लाख में कोई शरारती आदमी कुछ कर देगा तो उसकी शरारत को पकड़ने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर भी हो सकता है कि कोअई शरारत हो जाए लेकिन मैं जानता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे दोस्त ने अभी कहा कि यह चीज अमरेली में हुई है, इलाहाबाद में भी हो गई है। इलाहाबाद की हमारे पास कोई खबर नहीं है। उन्होंने भी इसको पढ़ कर बताया नहीं है। इलाहाबाद तो आपकी दया से और ईश्वर की दया से इस समय सुरक्षित है। वहां कुछ नहीं हुआ। अमरेली का जहां तक ताल्लुक है हमारे पास उसकी अभी सूचना नहीं है? सुबह अखबरों में मैंने पढ़ा है और उसके बारे में सूचना इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। सदन में जब आज मैं आया तब तक सूचना नहीं मिली थी। सूचना मिलने के पहले कुछ कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सैंसर पत्र करने का अच्छा मौका और मिल गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : अब तो आपको भी डर नहीं होना चाहिए। सैंसर करेंमे तो खद ही हली उग, जाएंगें। यह तो आपकी गारंटी हो गई।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि दूसरे देसों ने इसे में क्या क्या प्रगति की है, क्या क्या काम लिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रगति इतनी की है कि जहां हमारे यहां पार्सलों में आज तक कोई बम नहीं पाए गये वहां दूसरे देशों में पार्सलों में बम फट भी चुके हैं और आदमी भी मर चुके हैं हम अपने यहां पार्सलों की जांच अच्छी तरह कर रहे हैं, चिट्ठियों की जांच अच्छी तरह

कर रहे हैं, और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार की बचत का हमने बन्दोबस्त कर लिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : गिरफ्तार कितने हुए हैं, इसका उत्तर नहीं दिया गया है । पकड़े कितने लोग गये हैं ।

DR. RANEN SEN (Barasat): Whether the minister wants it or not, there is a little sense of panic inside the country, mostly among the postal employees and other sections of the population also. The minister said that the letter bomb, whether metallic or plastic, is not made in India. So, it must have been sent from outside. We have so many intelligence departments going through so many things. For the last 10 or 15 days this is going on. It started in Bombay and came to Delhi. Nobody knows whether it will go to other places or not. According, to Dr. Laxminarayan Pandeya, it is travelling to other places also. If it goes beyond Delhi, naturally there will be terrible panic inside the country and people will not be satisfied by the minister's statement that the civilin population or the people who get letters inside the country need have no fear.

No one would listen to this advice or assurance. How is it that the Communications Ministry is not pressurising the Home Ministry to gear up its intelligence department to find out how this is happening and who are responsible for it so that they can take some remedial measures? Secondly, since this is happening, in other countries also, as we have seen from the newspapers what steps have been taken by the External Affairs Ministry and Home Ministry to get the cooperation of Interpol and the International Postal Union? Even though this is happening for the last fifteen days, they have not been able to find out the source. That shows that there is clear failure on the part of the intelligence department of the Home Ministry. Without divulging any of the secrets of the Government of India, we want to be assured as to how government is proceeding in this direction and whether all the possible steps have been taken.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I can assure my hon. friend that the Government in the Ministry of Home Affairs have taken adequate steps to move in the direction indicated by him. As he has himself mentioned, I would not like to divulge much of the work done by us. But one part of the story I can mention, because it has already appeared in the press. The Ministry of Home Affairs have been looking into the entire matter and Interpol has also been involved in this. We are expecting to reach our conclusions after the Home Ministry have made a clear assessment of the situation. This involves not merely letter bombs but so many other things. Therefore, it will not be correct for me even to allude to those factors which resulted in the use of letter bombs. A number of people and institutions are involved and those who are involved in it have used a very high degree of sophistication in the process of bringing them into the country. Therefore, we should not treat it as a mere failure, because there has not been a country in the world from which it has not been possible to smuggle out these letters. While mentioning this, I am not trying to run down other countries; I am only simply mentioning that letters from other countries have resulted in the death of diplomats and other people. But so far we have been able to isolate the letters, thanks to the advice given by our explosive experts and also the caution the P&T workers have really brought to bear into this. I can assure the House that the P&T workers are the most dedicated workers who will rise up to the occasion in times of national needs. I am not deriding other sections of workers but I want to say that the P&T workers have tremendous capacity. They refused to leave those areas which were

SHRI H. N. BAHUGUNA:
bombarded by Pakistanis when almost all other civilian departments vacated the area. These are dedicated people and I am more than hopeful that they will continue to discharge their duties fearlessly and as intelligently as they have done, without much harm to them except, unfortunately, the incident which occurred the other day.

The Home Ministry is taking active interest in this matter. Nobody would be found sleeping over this matter. This is a matter to which the Government attaches the highest importance.

So far as inland letters are concerned, I would again appeal to the hon. Members to help us to remove this unnecessary scare which may otherwise prevail. So far as this is concerned, we are taking all possible physical steps to check things without detriment or delay to the movement of the mail, at the same time eradicating all chances of risk involved without such a check. Finally, I would say, we will be in a position soon to fix responsibility and see how it has happened.

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra): Today morning's news is that 44 bombs have been discovered so far and, if I am not wrong, for the last six months, this has been going on. The Minister of Communications is a very efficient Minister; he is one of the few who are efficient. But in spite of his efficiency, 44 bombs have been discovered in India and not a single culprit has been caught. That is a sad commentary.

In England, there is a news of 14th that 20 bombs, all mailed from India, have been discovered and so far about five Britons have been injured. In spite of the facts which are available that these are not manufactured in India, we have not been able to find out the source and catches the culprits.

I have got a few questions to ask from the hon. Minister. Firstly, I want to know when was the first bomb discovered by the Department and how much more time it will take to bring the culprits to book. Secondly, I want to know what is the penalty provided under the law for the persons who are mailling these bombs and killing innocent persons. What is the penalty for persons if they happen to be Indians and what is the penalty if they happen to be foreigners? If the penalty is found inadequate, will he make it so harsh that nobody dares to use India as a base for this nefarious activity?

Thirdly, I want to know how many persons have been injured so far, how many Indians and how many foreigners, from the bombs which have been mailed from India or in detecting the bombs.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I am grateful to the hon. Member for complimenting me. Dr. Pandeya wanted me to run the Explosives Department. He wants me to run the Home Department also. I am sure, he will appreciate that the Home Ministry is at it. With the best of intentions, it is not always possible to have this type of international racket or mischief pinpointed so quickly. Therefore, he should not be rather unhappy about the situation.

The first bomb was detected when it exploded in the Colaba Post Office on the 6th November. On the 9th, I myself was in Bombay and I discussed the whole matter with them. The C. B. I., the Interpol, everybody has since been alerted. Everybody is at work.

He has asked me what is the penalty provided under the law for such culprits who indulge in these nefarious activities. The number of laws are involved. There is the Explosives Act. You cannot misuse explosives and use explosives that way. The Indian Penal Code is involved because it is the intention to kill somebody to whom it goes. There is the Postal Law also. The Postal Law does not allow any such thing being done. All these laws are involved. Therefore, the punishment will have to be determined in accordance with the evidence available at the time of charge-

sheeting the case before a court of law...... ..

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): First, you have to catch somebody.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Yes; he is right. Then only, you can fix the charge-sheet that it was he who did it and so on and so forth. As my hon. firend, Shri Indrajit Gupta, said, the first step is to apprehend the person concerned and then fix the responsibility and proceed in the matter. This Department is not going to convict anybody. It is the court which is to determine what should be the conviction if at all, at sometime, we are able to catch hold of the culprit.

He says that there were 44 bombs in Bombay. I myself said 42; that was till yesterday; yesterday night information came about two more; that was, after I had sent the statement to the Secretariat. Therefore, it is true that the number is 44. But the injured person is only one in the whole country. Outside the country we have no firm information. Papers are saying different things. But I am not prepared to accept anything till we get a communication. The postal organisation of Great Britain, till this day, has not written to us anything about our mail or about letters sent through us in which something has happened to the citizen of U. K. Therefore, I am not able to say whether our letter has hurt anybody outside this country. But, in this country, I would again repeat, only one person has been involved, whose three fingers have been exploded. He is recovering by God's grace and I am sure he will be alright and fit for duty soon.

The hon. Member has also said that so many days have passed by and yet we have not been able to fix the responsibility. Crimes of this nature take years not only in this country but the world over. Even with the very high degree of knowledge in detective methods, many countries fail even to detect some crimes. I am not sure what will happen to this crime, but we are trying our best.

12.47 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

INDIAN TELEGRAPH (EIGHTH AMENDMENT) RULES

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Eighth Amendment) Rules, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 545 in Gazette of India dated the 29th July, 1972, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act 1885. (Placed in Library. *See* LT-3663/72).

NOTIFICATION UNDER ARMS ACT AND ALL-INDIA SERVICES.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Arms (Second Amendment) Rules, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1011 (A) in Gazette of India dated the 26th August, 1972, under sub-section (3) of section 44 of the Arms Act, 1959 (Placed in Library. *See* No. LT-3664/72).

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951:—

(i) The Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 1972, published in Notification No. G.S.R. 401 (E) in Gazette of India dated the 2nd September, 1972. (Placed in Library. *See* No. LT-3667/72).

(ii) The Indian Administrative Service (Recruitment) Amendment Rules, 1972, publi-